न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
23/2015/प्रा.पत्र/2015	23.03.2015	23.08.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री राजकुमार जैन पुत्र श्री कुन्ती लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स आर. के. एन्टरप्राईजेज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक निवासी किसान टाकीज के पीछे विवेकानन्द कालोनी देवली जिला टोंक
2–मैसर्स आर. के. एन्टरप्राईजेज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक

..... अप्रार्थीगण

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थी अनुपस्थित ।

:–निर्णय–: दिनांक 23.08.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.09.2014 को समय 01:49 पीएम पर मैसर्स आर. के. एन्टरप्राईजेज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री राजकुमार जैन पुत्र श्री कुन्ती लाल जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री राजकुमार जैन ने स्वयं को मैसर्स आर. के. एन्टरप्राईजेज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक का एफ.बी.ओ./मालिक होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ–साथ **रिफाइन्ड सोयाबीन तेल सेठिया ब्रांड (Refined Soya-Bean Oil Saatia Brand)** 910–910 ग्राम के 10 पेपर कार्टून सीलबन्द प्रत्येक कार्टून में 20–20 प्लास्टिक बोतलों सीलबन्द का विवरण अंकित था,रखे हुये थे, जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री राजकुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री राजकुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रिफाइन्ड सोयाबीन तेल सेठिया ब्रांड (Refined Soya-Bean Oil Saatia Brand)** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 910–910 ग्राम वनज की 2 प्लास्टिक बोतलें खरीदी, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइन्ड सोयाबीन तेल सेठिया ब्रांड (Refined Soya-Bean Oil Saatia Brand)** 910–910 ग्राम की दोनों बोतलों को खोलकर साफ व सूखे कांच के जारों में अलग–अलग 400–400 ग्राम तुलवाकर भरवाया एवं प्रत्येक कांच के जार को ढक्कन से अच्छी तरह एयरटाईट बंद किया एवं बोतलों पर लगे लेबलों को ज्यों का त्यों उतार कर दो छायाप्रति करवाकर कुल चार लेबलों को चारों जारों के अलग–अलग रखा एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–774 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–774 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री राजकुमार जैन ने बतौर वारन्टी किसी अन्य फर्म से क्रय करने का कोई वारंटी बिल प्रस्तुत नहीं किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./14/18 दिनांक 03.11.2014 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./433/एफ.एस.एस.ए./2014/442 दिनांक 09.10.2014 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइन्ड सोयाबीन तेल सेठिया ब्रांड (Refined Soya-Bean Oil Saatia Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1)(zf)(c)(i) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी दिनांक 13.07.2018 को अंतिम बार न्यायालय हाजा में उपस्थित हुआ एवं जवाब व बहस हेतु निवेदन किया। परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी बहस नहीं की और ना ही इसके पश्चात् न्यायालय हाजा में उपास्थित हुआ। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रिफाइन्ड सोयाबीन तेल सेठिया ब्रांड (Refined Soya-Bean Oil Saatia Brand)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **रिफाइन्ड सोयाबीन तेल सेठिया ब्रांड (Refined Soya-Bean Oil Saatia Brand)**का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 2,50,000/– (अक्षरे दो लाख पचास हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.08.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 23.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0